

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 02/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री जगाय मुण्डा

- विक्रेता

श्रीमती कौशल्या भृंगराज

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

05.07.19

## आदेश


आवेदक श्री जगाय मुण्डा पिता स्व० माधो मुण्डा ग्राम अनिगाड़ा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने श्रीमती कौशल्या भृंगराज पति श्री रोहन लोहरा ग्राम डाडुगामा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
अनिगाड़ा	73	57	584	0.10

अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 559 दिनांक 23.06.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। क्रेता एवं विक्रेता का जाति/आवासीय प्रमाण पत्र अप्राप्त है। न्यायालय पत्रांक 36/न्या० दिनांक 18.06.19 द्वारा नोटिस कर दिनांक 05.07.19 तक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया। दिनांक 05.07.19 तक प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। इससे स्पष्ट है कि क्रेता एवं विक्रेता को इस वाद में कोई रूचि नहीं है।

अतः वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।